

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जून 2011—आषाढ 4, शक 1933

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2011

संशोधन

क्र. एफ-12-29-11-बी-1-दो.—एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 जून 2011 के पैरा-2 के कॉलम क्र. 01 में  
“वर्जित हथियार एवं अवर्जित हथियार” के साथ “पिस्टल/रिवाल्वर” और पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आलोक रंजन, सचिव.